अज अदालत उप खण्ड अधिकारी

बनाम

किस्म मुकदमा .... धारा .... न0 .... 18/18 ...... सन

1.2.18	वकील प्रार्थी ने मय प्रार्थना पत्र उपस्थित / पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर हो तलबी प्रतिवादीगण होकर दिनांक 23.2.2018 को पेश हो ।	
23/2/18	पत्रावली पेश हुई / प्रति० श्री ओम प्रकाश शर्मा को वकालत नामा पेश किया वास्ते जवाब हेतु दिनांक 9-3-18 को पेश हो ।	22.83 6-2-18
9/3/18	पत्रावली पेश हुई / जवाब हेतु दिनांक 16-3-18 को पेश हो ।	
16/3/18	पत्रावली पेश हुई / जवाब पेश हुआ [illegible] हेतु दिनांक 28-3-18 को पेश हो ।	
28/3/18	पी. ओ. [illegible] / [illegible] / [illegible] पर होने से दिनांक 18-4-18 को पेश हो।	
19/4/18	दिनांक 18-4-18 को अवकाश होने से आज पेश दिनांक 8-5-18 को कैम्प [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 8-5-18 को पेश हो जौला मे पेश हो	
8/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प जौला मे रखने से आज पेश हुई / पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी गण उपस्थित हुए / पत्रावली के अवलोकन	

C:\Users\choudhary chmputer\Desktop\sdm\vv\107J116.doc

गजानन्द जाट

गोपाल

ओम

रामे

पर भूमी आराजी ख.नं. 1265 रकबा 1 बिघा 09 बिस्वा वाके ग्राम- जौला त०-पीपलू मे स्थित है। जिसका वर्तमान मे वादी खातेदार खासगार है। उक्त आराजी के लगवा ही प्रतिवादीगण की भूमी ख.नं. 1265 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उपस्थित पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी ने सीमा को लेकर विवाद होना बताया है तथा सीमाज्ञान कर सीमा चिन्हित कर दी जाए तो हम पक्षकारो के बीच सीमा को लेकर विवाद समाप्त हो जाएगा। इस पर शिविर कैम्प मे ही सम्बधित पटवारी हल्का एवं भू०अ० निरीक्षक को सीमाज्ञान हेतु मौके भेजा जाकर सीमाज्ञान के आदेश दिया गया तदुपरान्त सम्बधित कर्मचारियों ने मौकापर्चा सहित मौका रिपोर्ट पेश किया गया। मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार पक्षकारो ने सीमाज्ञान/पत्थरगढी मे सीमा को लेकर अपनी सहमति जाहिर की। अत: प्रकरण लोक अदालत की भावना से इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि पक्षकारो के मध्य मुताबिक मौका रिपोर्ट मे सीमा का विवाद सीमाज्ञान पर सहमति होने से दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि ख.नं. 1265 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम जौला मे प्रतिवादीगण को हमेशा-2 से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत न करें तथा डोलबाड लगाने मे बाधा उत्पन्न नही करें। पाबन्द रहे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक